'भारत को समृद्ध बनाने का जो सपना पापा ने देखा था उसे साकार करूंगा'

नई दिल्ली, 21 मई (भाषा)।

कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को अपने पिता और पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की पुण्यतिथि पर उन्हें याद किया और कहा कि उनके पिता ने भारत को समृद्ध बनाने का जो सपना देखा था उसे वह साकार करेंगे। राजीव गांधी की पुण्यतिथि के मौके पर कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी, पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी सहित पार्टी के कई नेताओं ने राजीव गांधी के स्मारक 'वीर भूमि' जाकर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की।

राहुल गांधी ने अपने पिता राजीव गांधी के साथ अपने बचपन की एक तस्वीर साझा की और कहा कि पापा, आपने जिस कुशल, समृद्ध और मजबूत भारत का सपना देखा था, उसे साकार करने की जिम्मेदारी मैं पूरी करूंगा। आपकी सीख, आपके संस्कार और आपकी यादें हमेशा मेरे साथ रहेंगी। खरगे ने 'एक्स' पर पोस्ट किया कि भारत के एक सपूत, जिन्होंने देश भर में लाखों लोगों में आशा और आकांक्षा को प्रेरित किया, पूर्व प्रधानमंत्री और 'भारत रत्न' राजीव गांधी को उनके शहादत दिवस पर हम अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। उन्होंने कहा कि राजीव गांधी ने दूरदर्शिता, साहस और भारत के भविष्य में गहरी आस्था के साथ, 21वीं सदी में देश की यात्रा की नींव रखी।

विजय मंत्रिमंडल का विस्तार, 59 साल बाद कांग्रेस सरकार में

कांग्रेस के दो विधायकों को मिली जगह, तीन महिलाओं समेत 23 और मंत्री शामिल

जनसत्ता ब्यूरो
नई दिल्ली, 21 मई।

तमिलनाडु में तमिलगा वेत्री कषगम (टीवीके) सरकार का गुरुवार को पहला मंत्रिमंडल विस्तार किया गया। सरकार बनने के करीब दो सप्ताह बाद मुख्यमंत्री सी जोसफ विजय नीत सरकार में कांग्रेस के दो विधायकों समेत 23 नए सदस्यों को शामिल किया गया।

शपथ ग्रहण समारोह सुबह 10 बजे से लोक भवन में शुरू हुआ, जहां राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर ने मंत्री पद के लिए चुने गए टीवीके विधायक श्रीनाथ, एस कमाली, सी विजयलक्ष्मी और आरवी रंजितकुमार, कांग्रेस के एस राजेश कुमार व पी विश्वनाथन को मंत्री पद की शपथ दिलाई। यह 59 साल में पहली बार है, जब कांग्रेस पार्टी सरकार में शामिल हुई है।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक किलियूर से कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार और मेलूर से पी विश्वनाथन को मंत्री पद मिला है।

गुरुवार को जिन मंत्रियों ने शपथ ली, उनमें श्रीनाथ, अविनाशी से एस कमली, कुमारपलायम से सी विजयलक्ष्मी, आरवी रंजीत कुमार, विनोथ, राजीव, पी राजकुमार, वी गांधीराज, माथनराजा पी, जेगडेश्वरी के, राजेश कुमार एस, एम विजय बालाजी, लोगेश तमिल सेलवन, विजय तमिलन पार्थिबन, रमेश, विश्वानाथन, कुमार आर, मोहम्मद फरवास, शरतकुमार, मैरी विल्सन, विग्नेशन और थेनारासु के शामिल हैं।

कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल के मुताबिक किलियूर से कांग्रेस विधायक एस राजेश कुमार और मेलूर से पी विश्वनाथन को मंत्री पद मिला है। टीवीके के शीर्ष नेता एवं लोक निर्माण तथा खेल विकास मंत्री आधव अर्जुन ने बुधवार को कांग्रेस, विदुथलाई चिरुथिगल काची और इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग को सरकार में शामिल होने का प्रस्ताव दिया था। इससे पहले मुख्यमंत्री विजय समेत मंत्रिमंडल के कुल दस मंत्री थे, लेकिन टीवीके के 21 और कांग्रेस के दो विधायकों के शपथ लेने के बाद अब मंत्रियों की संख्या बढ़कर 33 हो गई है। इस मंत्रिमंडल में अब चार महिलाएं हैं।

मप्र हाईकोर्ट में दोनों परिवारों ने दायर की याचिका

जबलपुर/भोपाल, 21 मई (भाषा)।

पूर्व माडल और अभिनेत्री त्विषा शर्मा की मौत के मामले में उनके और पति समर्थ सिंह के परिवारों के बीच कानूनी लड़ाई गुरुवार को और तेज हो गई। दोनों पक्षों ने इस मामले में मध्यप्रदेश हाई कोर्ट का रुख किया है। समर्थ सिंह ने अग्रिम जमानत के लिए याचिका दायर की है, जबकि त्विषा के परिवार ने समर्थ की मां गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत को चुनौती देने का फैसला किया है।

गिरिबाला सिंह सेवानिवृत्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश हैं और वर्तमान में भोपाल जिला उपभोक्ता विवाद प्रतितोषण आयोग की अध्यक्ष हैं। त्विषा के परिवार के वकील अंकुर पांडे ने बताया कि वे गिरिबाला सिंह को दी गई अग्रिम जमानत का विरोध करेंगे।

त्विषा शर्मा की मौत के मामले में शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है।

उनका कहना है कि अधीनस्थ अदालत ने भारतीय साक्ष्य अधिनियम (बीएसए), 2023 की धारा 118 के तहत दहेज हत्या से जुड़े मामलों में लागू होने वाले प्रावधानों और साक्ष्यों की अनदेखी की है। इस प्रावधान के अनुसार, यदि किसी महिला की शादी के सात वर्ष के भीतर अप्राकृतिक परिस्थितियों में मृत्यु होती है और यह साबित हो जाता है कि मृत्यु से ठीक पहले उसे दहेज को लेकर पति या उसके रिश्तेदारों द्वारा प्रताड़ित किया गया था, तो अदालत यह मान सकती है कि आरोपी उसकी दहेज हत्या का जिम्मेदार है। समर्थ सिंह की याचिका पर शुक्रवार को सुनवाई होने की संभावना है, जबकि त्विषा के परिवार की याचिका पर सोमवार को सुनवाई हो सकती है। इससे पहले भोपाल की एक अदालत ने गिरिबाला सिंह को अग्रिम जमानत दे दीथी, जबकि समर्थ सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी गई थी।

जुलूस निकालने के मामले में प्राथमिकी दर्ज

गाजियाबाद, 21 मई (संवाददाता)।

एलएलबी की छात्रा से कथित बलात्कार के मामले के आरोपी और एक दक्षिणपंथी संगठन के नेता सुशील प्रजापति के गाजियाबाद की डासना जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद समर्थकों द्वारा निकाले गए जुलूस को लेकर पुलिस ने नया मामला दर्ज किया है। अगस्त 2025 में दर्ज मामले में करीब आठ महीने जेल में रहने के बाद प्रजापति 17 मई को जमानत पर रिहा हुआ और रिहाई के बाद बड़ी संख्या में समर्थक जेल के बाहर जुटे।

बलात्कार के आरोपी के जमानत पर रिहा होने का मामला

इस दौरान समर्थकों ने उसे कंधों पर उठाकर नारेबाजी की और वाहनों का काफिला निकालते हुए जुलूस भी निकाला। घटना के वीडियो सोशल मीडिया पर प्रसारित होने के बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए मसूरी थाने में प्रजापति और 10 से 12 अज्ञात लोगों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की।

यूपीएससी प्रारंभिक परीक्षा : रविवार को मेट्रो सेवाएं एक घंटा पहले

नई दिल्ली, 21 मई (संवाददाता)।

दिल्ली मेट्रो रेल कारपोरेशन ने गुरुवार को कहा कि संघ लोक सेवा आयोग की ओर से आयोजित की जाने वाली सिविल सेवा (प्रारंभिक) परीक्षा में शामिल होने वाले अभ्यर्थियों की सुविधा के लिए 24 मई को चुनिंदा मार्गों पर मेट्रो सेवाएं सुबह छह बजे से शुरू होंगी।

डीएमआरसी के अनुसार, 24 मई को लाइन 7 (पिंक लाइन), लाइन 8 (मैजेंटा लाइन) और लाइन 9 (ग्रे लाइन) के टर्मिनल स्टेशन से ट्रेन सेवाएं रविवार के सामान्य समय से एक घंटा पहले शुरू हो जाएंगी। बयान में कहा गया है कि पिंक लाइन मजलिस पार्क और शिव विहार को जोड़ती है,जबकि मैजेंटा लाइन पर मेट्रो कृष्णा पार्क एक्सटेंशन और बाटनिकल गार्डन के बीच तथा दीपाली चौक और मजलिस पार्क के बीच परिचालित होती है। ग्रे लाइन ढांसा बस स्टैंड और द्वारका को जोड़ती है। इन तीनों लाइन पर रविवार को मेट्रो सेवाएं आमतौर पर सुबह सात बजे शुरू होती हैं। यूपीएससी परीक्षा के मद्देनजर ट्रेन सेवाएं सुबह छह बजे शुरू होंगी और सुबह सात बजे तक ट्रेन 15-15 मिनट के अंतराल पर परिचालित होंगी।

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगार्तगत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में साकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक मॉग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगांतर्गत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल–एचएफएल" को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराषि (रु.)	मॉग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि
श्रीमती शशि श्री रवि सिंह (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10538147)	प्लॉट नं. 76–ए खसरा संख्या 25/11, दूसरी मंजिल सामने का हिस्सा, प्राइवेट यूनिट संख्या 301, गांव– राजापुर खुर्द, कॉलोनी–मोहन गार्डन एक्सटेंशन ब्लॉक पी में, उत्तम नगर, नई दिल्ली 110059 का वह पूरा हिस्सा और भाग, क्षेत्र मापन (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार: विक्रययोग्य क्षेत्रफल, कॉर्पेट क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल : 450.00, 360.00	रु. 24,17,320/– (रुपये चौबीस लाख सत्रह हजार तीन सौ बीस मात्र)	07–01–2026	19–05–2026

अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से **शाखा कार्यालय :** डी–11/151, द्वितीय तल, सेक्टर–8, रोहिणी, नई दिल्ली–110085 अथवा **कार्पोरेट कार्यालय :** आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गॉव, हरियाणा से संपर्क करें।

स्थान : दिल्ली, दिनांक : 22–05–2026 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

अधिग्रहण सूचना (अचल संपत्ति हेतु) नियम 8-(1)

जबकि, अधोहस्ताक्षरकर्ता ने आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड (पूर्व में इंडिया इंफोलाइन हाउसिंग फाइनेंस लि. के रूप में अभिज्ञात) (आईआईएफएल–एचएफएल) के प्राधिकृत अधिकारी के रूप में वित्तीय परिसंपत्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 के अंतर्गत और प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियमावली 2002 के नियम 3 के साथ पठित धारा 13(12) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगार्तगत, कंपनी के प्राधिकृत अधिकारी द्वारा यहां इसमें निम्न वर्णित उधारकर्ताओं/सह–उधारकर्ताओं को उक्त सूचना की प्राप्ति की तिथि से 60 दिवसों के अंदर सूचना में सांकित राशि के प्रतिभुगतान हेतु एक मॉग सूचना निर्गत की गई थी। ऋणकर्ता निर्धारित बकाया राशि का प्रतिभुगतान करने में विफल हो चुके हैं, अतएव एतद्द्वारा उधारकर्ता को तथा जनसाधारण को सूचित किया जाता है कि अधोहस्ताक्षरकर्ता ने यहां इसमें निम्न विवरणित संपत्ति का उक्त नियमावली के नियम 8 के साथ पठित उक्त अधिनियम की धारा 13(4) के अंतर्गत उनको प्रदत्त शक्तियों के प्रयोगार्तगत अधिग्रहण कर लिया है। उधारकर्ता को विशेष रूप में तथा जनसाधारण को एतद्द्वारा सामान्य रूप में सावधान किया जाता है कि संपत्ति का लेन–देन न करें तथा संपत्ति का कोई व किसी भी प्रकार का लेन–देन, यहां इसमें निम्न अंकितानुसार एक राशि तथा ब्याज हेतु आईआईएफएल एचएफएल के प्रभाराधीन होगा। "उधारकर्ता का ध्यानाकर्षण उस स्थिति में अधिनियम की धारा 13 की उप–धारा (8) के प्रावधानों की ओर आमंत्रित किया जाता है, यदि उधारकर्ता विक्रय अथवा हस्तांतरण हेतु निर्धारित तिथि से पूर्व, किसी भी समय समस्त लागतों, प्रभारों एवं उपगत व्ययों के साथ "आईआईएफएल–एचएफएल" को देय धनराषियों का पूर्ण भुगतान कर देता है, तो ऐसी स्थिति में "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों का विक्रय अथवा हस्तांतरण नहीं किया जाएगा और "आईआईएफएल–एचएफएल" द्वारा प्रतिभूत परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण व विक्रयार्थ कोई भावी कदम नहीं उठाया जाएगा।

उधारकर्ता(ओं) / सह–उधारकर्ता(ओं) के नाम	प्रतिभूत परिसंपत्ति (अचल संपत्ति) का विवरण	कुल बकाया देयराशि (रू.)	मॉंग सूचना की तिथि	अधिग्रहण की तिथि
श्री शुभम जायसवाल श्री ओम प्रकाश श्रीमती कमलेश (प्रॉस्पेक्ट नं. IL10017934)	यूनिट नं.–एल–जी–8/आभा, पार्थ रिपब्लिक, मीरानपुर पिनवट कानपुर रोड, लखनऊ, उत्तर प्रदेश, भारत, 226001 का वह पूरा हिस्सा और भाग, क्षेत्र मापन (वर्ग फीट में): संपत्ति का प्रकार :भूमि क्षेत्रफल, निर्मित क्षेत्रफल, संपत्ति का क्षेत्रफल : 936.00, 625.00	रु. 230520/– (रुपये दो लाख तीस हजार पांच सौ बीस मात्र)	09–03–2026	19–05–2026

अन्य विवरणों के लिये कृपया प्राधिकृत अधिकारी से शाखा कार्यालय : 1017, दसवॉं तल, साइबर हाइट्स, टीसी 2/2 और टीसी 5/5, विभूति खंड, गोमती नगर, लखनऊ – 226010 अथवा कार्पोरेट कार्यालय : आईआईएफएल टॉवर, भूखण्ड सं. 98, उद्योग विहार, फेज–IV, गुड़गॉव, हरियाणा से संपर्क करें।

स्थान : लखनऊ, दिनांक : 22–05–2026 **हस्ता./– प्राधिकृत अधिकारी, कृते आईआईएफएल होम फाइनेंस लिमिटेड**

बैंक ऑफ महाराष्ट्र Bank of Maharashtra
भारत सरकार का उद्यम
एक परिवार एक बैंक

अंचल कार्यालय, नोएडा
बी–192/ए, ब्लॉक बी, सेक्टर 52, नोएडा गौतम बौद्ध नगर, उत्तर प्रदेश 201301
प्रधान कार्यालय: लोकमंगल,1501,शिवाजीनगर, पुणे–5

आधिपत्य सूचना (स्थावर संपत्ति) नियम–8(1)

जबकि, वित्तीय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्गठन एवं प्रतिभूति–हित–का प्रवर्तन अधिनियम 2002 अन्तर्गत एवं धारा 13(12) सहपठित प्रतिभूहित हित (प्रवर्तन) नियम 2002 के अधीन प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए बैंक ऑफ महाराष्ट्र के प्राधिकृत अधिकारी ने निम्न वर्णित दिनांक को मांग सूचना पत्र को जारी किया जिसमें निनवर्णित ऋणी एवं जमानतदार को नोटिस में निम्न वर्णित राशि एवं उस पर देय ब्याज एवं अनय खर्चों सहित नोटिस प्राप्ति की दिनांक से 60 दिनों की समयावधि में भुगतान करने हेतु निर्देशित किया गया था। यह सूचना पत्र रजिस्टर्ड डाक/स्पीड पोस्ट द्वारा भेजा गया था।

ऋणी द्वारा राशि के भुगतान नहीं करने पर ऋणी एवं आमजनता को एतद् द्वारा सूचित किया जाता है कि उपरोक्त कथित एक्ट की धारा 13 (4) सहपठित उक्त कथित नियम के नियम 8 के अधीन निम्न हस्ताक्षरकर्ता ने निम्नवर्णित संपत्तियों का **सांकेतिक कब्जा** निम्नवर्णित दिनांक को ले लिया गया है। ऋणी एवं जमानतदार को विशिष्टतया और सर्वसाधारण को सामान्यतः एतद् द्वारा निम्नवर्णित संपत्ति के साथ कोई व्यवहार नही करने की चेतावनी दी जाती है कि इस संपत्ति से संबंधित कोई भी व्यवहार निम्न वर्णित राशि के लिए **बैंक ऑफ महाराष्ट्र, गाजियाबाद शाखा** के निर्मित प्रभार के अध्यधीन होगा।

उधारकर्ताओं को एक्ट की धारा 13 एवं एवं उपधारा 8 के प्रावधान के अन्तर्गत सुरक्षित परिसंपत्तियों एवज में उपलब्ध समय की ओर ध्यान आकर्षित किया जाता है।

उधारकर्ता एवं जमानतदार का नाम एवं पता	बंधक रखी संपत्ति के विवरण	मांग नोटिस की तिथि	बकाया राशि
शाखा: गाजियाबाद			
1. **मैसर्स पारसनाथ होम एप्लायंसेज** **प्रोप.– श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** **पता:** खसरा नंबर 493, गांव–सदीक नगर, सिहानी, पीटी तेजरा कॉलेज के पास, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201204 2. **श्री अजय कुमार श्रीवास्तव पुत्र पारस नाथ (ऋणकर्ता)** **पता:** खसरा नंबर 493, गांव–सदीक नगर, सिहानी, पीटी तेजरा कॉलेज के पास, जिला गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश– 201204	**मालिक का नाम: मैसर्स पारसनाथ होम अप्लायंसेज, प्रोपराइटर: श्री अजय कुमार श्रीवास्तव** **संपत्ति 1 का विवरण:** आवासीय संपत्ति का साम्यिक बंधक, क्षेत्रफल 150 वर्ग गज यानी 125.41 वर्ग मीटर और कुल कवर्ड क्षेत्रफल 225.74 वर्ग मीटर, स्थित खसरा संख्या 492, ग्राम सदीकनगर, परगना लोनी, तहसील एवं जिला गाजियाबाद, यूपी, मालिक– श्री अजय कुमार श्रीवास्तव, सीमायें:– पूर्व: 15 फीट चौड़ा मार्ग, पश्चिम: ईश्वर सिंह का मकान, उत्तर: प्रजापति का मकान, दक्षिण: संदीप सिंह का मकान। **CERSAI Asset ID : 200078729661** **संपत्ति 2 का विवरण:** औद्योगिक प्लॉट संख्या 15 का साम्यिक बंधक, कुल क्षेत्रफल 738 वर्ग गज यानी 617.06 वर्ग मीटर, खसरा संख्या 218 से संबंधित, स्थित ग्राम काकड़ा, परगना– जलालाबाद, तहसील मोदीनगर, जिला गाजियाबाद, माकलक– मैसर्स पारसनाथ होम अप्लायंसेज प्रोप.– अजय कुमार श्रीवास्तव, सीमायें:– पूर्व: निखिल तुगनैत की दीवार, पश्चिम: 40 फीट चौड़ा मार्ग, उत्तर: दिनेश कुमार का प्लॉट, दक्षिण: प्लॉट संख्या 14 **CERSAI Asset ID: 200078738081**	30.12.2025 **कब्जे नोटिस की तिथि 20.05.2026**	रू 25767294.00 + ब्याज एवं अन्य खर्च 30.12.2025 से

दिनांक–21.05.2026 प्राधिकृत अधिकारी

WOODSVILLA LIMITED
(CIN:L55101DL1994PLC030472)
"REGD OFF: E-4,IIND FLOOR, DEFENCE COLONY,NEW DELHI - 110024
(Tel:011-41552060) Website: www.woodsvilla.in, Email: woodsvillaresort@gmail.com"

EXTRACT OF AUDITED FINANCIAL RESULTS FOR THE QUARTER AND YEAR ENDED 31.03.2026

(Rs. In Lacs)

Particulars	Quarter Ended Mar'26 Audited	Quarter Ended Dec'25 Un-Audited	Quarter Ended Mar'25 Audited	Year Ended Mar'26 Audited	Year Ended Mar'25 Audited
Total Income	14.33	19.27	11.49	65.47	70.94
Net Profit before exceptional items and Tax	1.32	3.02	-4.51	0.52	10.51
Net Profit after exceptional items and Tax	1.32	3.02	-4.51	0.52	10.51
Net Profit/Loss after Tax*	-1.34	3.02	-10.28	-2.14	4.74
Total Comprehensive Income for the period (Net of Tax)	-0.47	0.98	-0.04	11.42	12.68
Equity Share Capital (Face Value Rs. 5/- per Share	300.70	300.70	300.70	300.70	300.70
Other Equity	180.50				
Earnings per Share					
1) Basic	-0.03	0.07	-0.17	0.15	0.29
2) Diluted	-0.03	0.07	-0.17	0.15	0.29

*There was no extra-ordinary item during the Quarter and Year Ended March 31,2026
**As at March 31, 2026
***As at March 31, 2025
Not Annualised

We declare that the Audit Report issues by the Statutory Auditors of the Company on the Quarterly and Annual Audited Financial Results for the period ended on March 31, 2026, was unmodified.

Note:

1) The results have been reviewed by the Audit Committee and approved by the Company's Board of Directors at their respective meetings held on 21.05.2026

2) The figures for the quarter ended 31st March 2026 represents the derived figures between the audited figures in respect of the year ended March 31, 2026 and the unaudited published period to date figures upto December 31, 2023, which was subjected to a limited review.

3) The above is an extract of the detailed format of Quarterly and Yearly Audited Financial Results filed with stock exchange under regulation 33 of SEBI (Listing Obligations & Disclosure Requirements) Regulations,2015 read with SEBI Circular No. CIR/CFD/FAC/62/2016 dated July 5,2016. The full format of Quarterly and Yearly Audited Financial Results is available on the website of BSE at www.bseindia.com and also on Company's Website at http://www.woodsvilla.in.

4) This statement has been prepared in accordance with the Companies (Indian Accounting Standards) Rules, 2015 (Ind AS), prescribed under Section 133 of the Companies Act, 2013 and other recognised accounting practices and policies to the extent applicable.

5) The Company operates in single business segment namely Hospitality. Hence, no separate disclosure as per "Ind AS-108" is required for the Operating segment.

6) Previous period's figures have been regrouped / reclassified, wherever necessary to make them comparable with the current period / year.

For and on behalf of the Board
Meena Aggarwal
Whole Time Director

Place : New Delhi
Date: 21.05.2026

पंजाब एण्ड सिंध बैंक (भारत सरकार का उपक्रम) **Punjab & Sind Bank** (A Govt. of India Undertaking)
Where service is a way of life
ई–नीलामी (केवल ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री)

एसएएमवीईआरटी, प्रथम तल, प्लेट–बी, ब्लॉक–3, एनबीसीसी बिल्डिंग, ईस्ट किदवई नगर, नई दिल्ली–110023, ई–मेल : ho.samvertical@psb.co.in

[परिशिष्ट–IV–A] अचल सम्पत्ति की बिक्री हेतु बिक्री सूचना

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के प्रावधानों के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

जबकि, पंजाब एण्ड सिंध बैंक के अधिकृत प्राधिकारी ने हमारी शाखाओं के निम्नलिखित ऋण खातों में वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित (**सरफैसी**) प्रवर्तन अधिनियम, 2002 की धारा 13(2) के तहत सूचना के अनुसार बैंक के बकायों की वसूली हेतु "**जहाँ है जैसे है तथा जो है यही है**" आधार पर इसे विक्रय के अधिकार सहित निम्नलिखित सम्पत्ति/यों पर कब्जा कर लिया है। विक्रय अधोहस्ताक्षरी द्वारा वेबसाइट : **https://baanknet.com/** पर उपलब्ध ई–नीलामी प्लेटफॉर्म के माध्यम से सम्पन्न किया जायेगा।

ई–नीलामी की तिथि और समय : 29.06.2026 को 11.30 बजे अप. से 12.30 बजे अप. | **ईएमडी जमा करने की अन्तिम तिथि 26.06.2026 को 6.00 बजे अप. तक**

कर्जदार तथा गारंटर तथा शाखा का नाम तथा शाखा	सम्पत्ति का विवरण निरीक्षण की तिथि एवं समय	न्यूनतम आरक्षित मूल्य ईएमडी राशि बोली वृद्धि राशि	मांग सूचना का विवरण बकाया राशि (प्रतिभूत ऋण)
1. **मेसर्स किसान पेट्रो ऑयल्स प्राइवेट लिमिटेड (कर्जदार)**, पंजीकृत कार्यालय, डी–10, एन.डी.एस.ई.–क्क, नई दिल्ली–110049। 2. **श्री जगमीत सिंह ग्रोवर** (निदेशक एवं गारंटर)) और स्वर्गीय श्री हरिंदर सिंह ग्रोवर के कानूनी उत्तराधिकारी, निवासी सी–187, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 3. **मेसर्स ओमेगा एक्सपोर्ट्स प्रा. लिमिटेड** (कॉर्पोरेट गारंटर सह बंधककर्ता), कार्यालय 7 बी एंड सी, उद्योग केंद्र, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र, गौतमबुद्ध नगर, यूपी, इसके अलावा डी–10, एन.डी.एस.ई.–क्क नई दिल्ली–110049, 4. **श्रीमती. मंजीत कौर स्वर्गीय श्री हरिंदर सिंह ग्रोवर** की पत्नी/कानूनी उत्तराधिकारी, निवासी सी–187, डिफेंस कॉलोनी, नई दिल्ली–110024 5 **श्रीमती गुरुमीत कौर पुत्री/स्वर्गीय श्री हरिंदर सिंह ग्रोवर** की कानूनी उत्तराधिकारी और निवासी ए–1080, सुशांत लोक, फेस–1, गुड़गांव, हरियाणा 6. **सुश्री परम सिंह पुत्री/स्वर्गीय श्री हरिंदर सिंह ग्रोवर** की कानूनी उत्तराधिकारी, निवासी 2230 एन, इंडियन हिल, ब्लव्ड क्लेरमोंट, सीए 91711 यूएसए	लीज होल्ड का इक्विटेबल बंधक, ग्रेटर नोएडा औद्योगिक विकास क्षेत्र, जिला गौतमबुद्धनगर में औद्योगिक भूखंड संख्या 7 बी और सी उद्योग केंद्र वाली निर्मित संपत्ति, जिसका क्षेत्रफल 12210.96 वर्ग मीटर है, ओमेगा एक्सपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड के नाम पर और इसकी सीमा इस प्रकार है: उत्तर–प्लॉट नंबर 8बी और 8ए, दक्षिण– रोड, पूर्व– प्लॉट नंबर 7ए, पश्चिम– प्लॉट नंबर 7डी **निरीक्षण की तिथि : 22.06.2026 : 11.00 बजे पूर्वा. से 1.00 बजे अप. के बीच** कब्जे की स्थिति – सांकेतिक कब्जा	रु. 3410.00 लाख रु. 341.00 लाख रु. 34.10 लाख **सम्पत्ति की स्थिति हेतु क्यूआर कोड**	14.11.2018 रु. 91,17,86,578.33 और आगे 01.10.2018 से ब्याज और लागत, अन्य शुल्क और उस पर व्यय के लिए। **वर्तमान बकाया:** **रु. 233,63,85,540/–** तिथि 30.04.2026 तक और 01.05.2026 से प्रभावी भावी ब्याज और लागत, अन्य शुल्क और व्यय **प्राधिकृत अधिकारी–** **श्री रवि रंजन,** **मुख्य प्रबंधक** **मोबाइल: +91–9015605050**

इस नोटिस को नियम 8(6) प्रतिभूति हित (प्रवर्तन), नियम 2002 के अंतर्गत कर्जदारों और जमानतियों (एल/आर) को 30 दिनों का वैधानिक बिक्री नोटिस भी माना जाएगा।

बिक्री के विस्तृत नियमों और शर्तों के लिए, कृपया दिए गए लिंक को देखें:– **https://www.baanknet.com तथा https://www.punjabandsind.bank.in**

तिथि : 21.05.2026, नई दिल्ली प्राधिकृत अधिकारी, पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया Union Bank of India
भारत सरकार का उपक्रम A Government of India undertaking

यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ, सरकारी इंटर कॉलेज के सामने, बेगम ब्रिज रोड मेरठ 250 001 (उ.प्र.)

बिक्री सूचना अचल सम्पत्तियों की बिक्री हेतु

प्रतिभूति हित (प्रवर्तन) नियम, 2002 के नियम 8(6) के परंतुक के साथ पठित वित्तीय आस्तियों के प्रतिभूतिकरण एवं पुनर्निर्माण तथा प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत अचल आस्तियों की बिक्री हेतु ई–नीलामी बिक्री सूचना

एतद्वारा जन सामान्य को तथा विशेष रूप से कर्जदार(रों) और जमानती(यों) को सूचना दी जाती है कि प्रतिभूत लेनदार के पास बंधक/प्रभारित नीचे वर्णित अचल सम्पत्ति, जिसका भौतिक/रचनात्मक कब्जा यूनियन बैंक ऑफ इण्डिया, क्षेत्रीय कार्यालय, मेरठ (प्रतिभूत लेनदार) के अधिकृत प्राधिकारी द्वारा किया गया था, नीचे वर्णित कर्जदार(रों) तथा जमानती(यों) से यूनियन बैंक के निम्नलिखित बकायों की वसूली के लिए उसकी बिक्री "जहाँ है जैसे है", "जो है यही है" तथा "जो कुछ है वही है" आधार पर (परिसंपत्ति–वार दिनांक और समय तथा अन्य विवरण नीचे दिए गए हैं) की जायेगी। आरक्षित मूल्य तथा जमा धरोहर राशि भी नीचे उल्लिखित है :

क्र.सं.	शाखा का नाम एवं पता	कर्जदार तथा जमानतियों का नाम एवं पता	नीलामी पर रखी अचल सम्पत्ति का विवरण	कब्जे की स्थिति भौतिक/ रचनात्मक	कर्जदार/गारंटर से वसूली योग्य बकाया (रु.)	आरक्षित मूल्य (रु.) ईएमडी बोली वृद्धि	नीलामी की तिथि तथा समय (10 मिनट के असीमित स्वतः स्वतः विस्तार सहित)
1	**यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, एसटीबी हापुड़ शाखा, मंडी पटिया, हापुड़, ज़िला हापुड़, उत्तर प्रदेश – 245101 मो.: 9953819511**	1) **अंकुर वर्मा, पुत्र महेश चंद वर्मा,** पता: मकान संख्या 209 (पुराना), वर्तमान संख्या ह–9/844, मोहल्ला नबी करीम, हापुड़, बराही माता मंदिर के पास। दिल्ली रोड, परगना/तहसील – हापुड़ (उ.प्र.)	**आवासीय मकान, म्युनिसिपल नं